पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-05.12.2012 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राजेश सिंह, स०वि०स० श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स० श्री वृज किशोर सिंह, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	''पटना शहर के अंतर्गत गर्दनीबाग के मुहल्ला धीराचक, बंगाली टोला, रोड नं०-40 के पश्चिम में अपना आवास नन्दी वाटिका एपार्टमेंट, मुखर्जी एनक्लेव, सुंदरी एपार्टमेंट, नंदन कानन एपार्टमेंट बन रहे हैं । एपार्टमेंट का निर्माण कार्य 20 फीट से कम सड़क पर नहीं हो सकता है, परन्तु 08 फीट की सड़क पर उपरोक्त एपार्टमेंट बन रहे हैं । इसी तरह से पटना शहर के बोरिंग रोड, राजाबाजार, मंदिरी, बेऊर, फुलवारी शरीफ सहित विभिन्न मुहल्लों में कनौडिया कंस्ट्रक्शन, नूतन कंस्ट्रक्शन आदि बिल्डरों द्वारा एपार्टमेंट बनाये जा रहे हैं, जो पटना नगर निगम के मार्गदर्शिका के विपरीत हैं । 20 फीट से कम सड़क रहने पर भी तथा निगम से स्वीकृति जी+3 रहने के बावजूद जी+4 बना दिया जा रहा है । बिल्डरों और नगर निगम की मिलीभगत से सारे मापदंडों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है । अतः इसकी जांच कराकर कार्रवाई किये जाने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	नगर विकास एवं आवास

1	2	3	4
2.	श्री कृष्णनन्दन यादव, स०वि०स० श्री राहुल कुमार, स०वि०स०	"अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गया में गौतम पटेल की तबीयत खराब होने पर उन्हें भर्ती कराया गया । चिकित्सकों के द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने की सूचना मिलने पर सामाजिक कार्यकर्त्ता योगेन्द्र रावत दिनांक-30.10.2012 को उनको देखने अस्पताल पहुँचे और इसकी शिकायत जब चिकित्सकों से की तो उनपर चिकित्सकों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया । इस तरह सामाजिक कार्यकर्त्ताओं पर जानलेवा हमला आये दिन होते रहता है । अत: सामाजिक कार्यकर्त्ता योगेन्द्र रावत एवं पूर्व में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं पर हुए जानलेवा हमला की जाँच एवं दोषी चिकित्सकों पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	स्वास्थ्य

लक्ष्मीकान्त झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-37/12- 1714 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 दिसम्बर, 2012 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04/12/12

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-37/12- 1714 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 दिसम्बर, 2012 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

04/12/12

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।